

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल-प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक, 26 दिसम्बर, 2013

सेवा में

श्री सत्य नारायण प्रसाद
1, जय भारत एन्क्लेव
गली नं. 2, साहिबाबाद
गाजियाबाद

विषय: आपके दिनांक 12.11.2013 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।


कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 12.11.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय जापन संख्या ए-43020/01/2013-आर टी आई का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त आवेदन के तहत मांगी गई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, आपके आवेदन की प्रतियां इस मंत्रालय के अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को भेजी जा रही हैं ताकि उपलब्ध सूचना मुहैया कराई जा सके।
3. उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है तथा इस सूचना के संबंध में अपील श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्षा सं-193-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री दलजीत सिंह चौधरी, निदेशक (ए एन ओ-1) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2013 के आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (1) से (6) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
2. श्री रमेश कुमार सुमन, निदेशक (आई एस-11) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2013 के आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (2), (4), (5) और (6) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
3. श्री आशीष वी गवई, अवर सचिव (एन एस ए एवं सी डी एन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11 भवन, नई दिल्ली को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (7) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
4. श्री वी. के. राजन, उप सचिव (स्था.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय जापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

R&I
Pr. im
30/12



निदेशक (नक्सल-प्रबंधन) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

30.12.13

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 11/12/2013

कार्यालय जापान

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/शुभ्री
के आवेदन का अंतरण।

सूचना राखण प्रभाग

इस मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/शुभ्री
का दिनांक 12-11-2013 का आवेदन प्राप्त हुआ है (14-11-2013 को प्राप्त)। चूंकि अपेक्षित सूचना
मंत्रालय/विभाग से संबंध रखती है / के कार्यों से निकटता से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का
अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए
अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है
तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे सीधे उस प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने रसीद संख्या 27458 दिनांक: 19-11-2013 (प्रति संलग्न) के माध्यम
से 10/- रुपए का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है/अदा नहीं किया है क्योंकि वह मरीजी रेखा से नीचे के वर्ग
के संबंधित है।

वी.केशवम
(वी.के. राजन)

उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में:

(1) भारत सचिव (आर. टी. आई.)
सूचना राखण प्रभाग, मंत्रालय,
नई दिल्ली (कमलगाँव-8, 9, 10)

निदेशक (स्था.)
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, नई दिल्ली

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित:

श्री/श्रीमती/कुमारी सूभ्री सूचना राखण प्रभाग
उप सचिव सूचना राखण प्रभाग
गोली नं. 2, साहिबगढ़ (गोली नं. 2)

(उनसे, मामले में आगे की सूचना के लिए ऊपर-उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।)

63/Dir/Inm-2/13
16/12/2013.

16/12

U.S (Inm-III)

16/12
SOC (Inm-III)

Sh. Vikas
1301/Inm-III
16/12/2013

यच्च के सफल भविष्य के लिए, निकसलवाद रद्द निर्माण के लिए, नक्सलवाद उन्मुलन के लिए, स्थायी शांति के लिए - जनसंख्या रोकिये।
कुछ लोग भारत की स्वतंत्रता से लफका रहे, ये ही हमारे मिशन जनसंख्या नियंत्रण को सफल नहीं होने दे रहे हैं। व भारत का पर्याप्त प्रतीक को
स्वार्थवश उपयोग करता रहे हैं।
प्रमाण हैं उत्तराखण्ड प्रलय व कॅलिफोर्निया तुफान - भारत में ही रहा साथ का अपमान।

सेवा में,

दिनांक:- 12/11/2013

जनसूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

मार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

कृपया सूचना दें।

1. 01 जनवरी 2001 से आज तक यानि दिनांक 10 अक्टूबर 2013 तक कितने आग आसगी नक्सलवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं।
2. कितने नागरिक आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं?
3. कितने नक्सलवादी मारे गये हैं?
4. कितने आतंकवादी मारे गये हैं?
5. कितने सैनिक राज्य स्तरीय पुलिस (भारत के सभी राज्यों से) शहीद हुए हैं?
6. कितने राजस्व की सरकारी वाहन व सरकारी भवन नष्ट किये गये हैं?
7. 2001 से आज तक यानि दिनांक 10 अक्टूबर 2013 तक केन्द्र स्तरीय आतंकवादी गतिविधियों के शिकार लोगों को कितनी सहायता/मुद्दावजा राशि वितरित की गयी है?

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs नई दिल्ली/New Delhi-1
14 11 2013
केस नं. 1875
आफ सं.
सी.एन. अनुभव/नई दिल्ली/CR Seal/Post Box

साथ ही यह भी सूचना दें:-

8. भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर सालाना कितनी राशि व्यय करती है?
9. जनसंख्या नियंत्रण हेतु दी गयी विज्ञापन के लिए भारत सरकार दूरदर्शन को 2011-12 व 2012 - 13 में कितनी राजस्व अदा की थी अथवा किया जाना है?
10. जनसंख्या नियंत्रण हेतु दी गयी विज्ञापन के लिए भारत सरकार अन्य किन किन चैनलों को 2011-12 व 2012 - 13 में कितनी-कितनी राशी अदा की थी अथवा किया जाना है?

नोट: ये सब सरकारी मुकसान हमारे मिशन, मिशन ए पोपुलेशन कंट्रोल की सर्वप्रिय नीति को भारत सरकार द्वारा नजर अन्दाज करने के कारण हुआ है। हमारा मिशन है नक्सलवादियों के खिलाफ सरकारी कार्यवाही हो, लेकिन नयी नक्सलवाद पैदा न हो इस हेतु भारतीय नागरिकों को राष्ट्रधर्म के तहत पोपुलेशन कंट्रोल की सर्वप्रिय नीति प्रसार को समझाना।

लेकिन भारतीय व्यवस्था राजनीति व्यापार के तहस देश धगा रही है। जो मानव जीवन को नष्ट होने पर मुद्दावजा देती है।

संलग्न है: रूपये 10 का पोस्टल आर्डर।

एक भारतीय सिर्फ भारतीय

Su

सत्य नारायण प्रसाद

Dis(NM)